

फा.सं.1/59(06)/2022-भ.II/भ.III

संघ लोक सेवा आयोग

भ.III अनुभाग

ऐसे उम्मीदवार, जो उक्त पद हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए लघु सूचीबद्ध किए जाने के प्रयोजनार्थ अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के आधार पर अपनी अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक हों, वे मूलभूत आधार/कारण बताते हुए अपना अभ्यावेदन दिनांक **31.03.2024** तक (**SORT3.UPSC@NIC.IN**) पर प्रस्तुत कर दें। इस तारीख के बाद प्राप्त हुई मेल को खोला नहीं जाएगा। यदि प्रस्तुत किए भी गए, तब भी इन्हें न तो खोला जाएगा और न ही उन पर विचार किया जाएगा। सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी मामले में उल्लिखित आधार/कारण, अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के अनुरूप सही पाए गए, तब ऐसे आवेदनों को लघु सूचीबद्ध किया जाएगा और शेष आवेदनों की अस्वीकृति की स्थिति बरकरार रहेगी। परन्तु, इसकी जांच आयु, श्रेणी, योग्यता, अनुभव और वांछनीय अनुभव के संबंध में ऑनलाइन भर्ती आवेदन में किए गए दावे के अनुसार की जाएगी। तत्पश्चात्, संवीक्षा के संशोधित और अद्यतन विवरण अपलोड किए जाएंगे। उक्त में से किसी भी ई-मेल का उत्तर अलग से नहीं दिया जाएगा।

| | |
|------------------------|--|
| पद का नाम | कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में उप आयुक्त (बागवानी) के एक (अना.-01) पद पर भर्ती। |
| विज्ञापन सं. | 01/2023 |
| रिक्ति सं. | 23010101214 |
| अपनाए गए मापदंड | <p>(i) संवीक्षा, ओआरए प्रणाली द्वारा जनरेट की गई संवीक्षा रिपोर्ट तथा उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी के आधार पर की गई है।</p> <p>(ii) आवेदनों की संवीक्षा, संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही की गई है।</p> <p>(iii) अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रारूप में होने चाहिए। तथापि, जहां कहीं भी आवेदकों द्वारा अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रारूप में जमा नहीं किए गए हैं, वहां उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर विचार नहीं किया गया है।</p> <p>(iv) संगत क्षेत्र में संविदा आधार/तदर्थ आधार पर प्राप्त किए गए अनुभव पर विचार किया गया है।</p> <p>(v) पी एच.डी करने हेतु प्राप्त अनुभव पर विचार नहीं किया गया है।</p> <p>(vi) सहायक उपाध्यक्ष कृषि एवं परियोजना के रूप में प्राप्त अनुभव की गणना अपेक्षित अनुभव के रूप में नहीं की गई है।</p> <p>(vii) जहां अनुभव प्रमाण-पत्र संबंधित संगठन द्वारा जारी किया गया है, वहां जारीकर्ता प्राधिकारी के विभाग प्रमुख होने पर विशेष बल नहीं दिया गया है।</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>(viii) नाम की वर्तनी में अंतर/नाम में परिवर्तन के लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।</p> <p>(ix) आवेदन पत्र में, उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत वचनबंध को ध्यान में रखते हुए, नियोक्ता को सूचित करने संबंधी वचनबंध पर, जहां कहीं भी लागू हो, विशेष तौर पर बल नहीं दिया जाएगा।</p> <p>(x) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।</p> |
| लघु सूचीबद्ध करने हेतु अपनाए गए मानदंड | अ.यो – (क) + अ.यो – (ख) + वां.यो |

साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु:

| अनुक्रमांक | | | | | |
|------------|-----|-----|----|-----|-----|
| 03* | 08* | 16* | 25 | 26* | 29* |
| 30 | 33 | | | | |

(*) अपेक्षित दस्तावेजों को जमा करने के अध्यक्षीन

(08 उम्मीदवार)

अस्वीकृत:

एलईक्यू – (क) (अनिवार्य योग्यता – (क) में कमी):

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 05 | 13 | 19 | 27 | 31 | 37 |
|----|----|----|----|----|----|

(06 उम्मीदवार)

एलईक्यू – (ख) (अनिवार्य योग्यता – (ख) में कमी):

| | |
|----|----|
| 09 | 34 |
|----|----|

(02 उम्मीदवार)

अपूर्ण आवेदन:

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 06 | 12 | 23 | 39 | 40 |
|----|----|----|----|----|

(05 उम्मीदवार)

एलडीक्यू – (वांछनीय योग्यता में कमी):

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 07 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| 21 | 22 | 24 | 28 | 32 |
| 35 | 36 | 38 | 41 | 42 |

एलईक्यू – (क), (ख) एवं (घ)

(20 उम्मीदवार)

04

(01 उम्मीदवार)

परामर्शदाता/उप सचिव (भ.III)